भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. 33/Press Clipping/15/2018/RU-III

छठा तल बी विंग लोकनायक भवन
खान मार्कट नई दिल्ली.110003
दिनांकः **16.08.2018**

सेवा में

जिला कलेक्टर,
जिला–सरगुजा,
अम्बिकापुर [illegible],
छत्तीसगढ़

विषयः ''शौचालय बना पण्डो परिवार का सहारा, पेड़ के नीचे कटती है रात'' शीर्षक से दिनांक 18.07.2018 के ''द शूटर'' समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के संदर्भ में श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष द्वारा ली गई बैठक का कार्यवृत।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर डॉ. नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनांक 06.08.2018 को आयोग में ली गई बैठक का कार्यवृत्त इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मामले में अनुपालन रिपोर्ट आयोग को **15 दिन** के अदंर भिजवाने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(आर.के. दुबे)
सहायक निदेशक

प्रतिलिपि प्रेषितः
एनआईसी, वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi -110003. Ph. 24615012 FAX: 24604689, 24624191
Toll Free: 1800117777 Website: **http://ncst.nic.in** mail ID assttdir@ncst.nic.in

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

File No. 33/Press Clipping/15/2018/RU-III

"शौचालय बना पण्डो परिवार का सहारा, पेड़ के नीचे कटती है रात" शीर्षक से दिनांक 18.07.2018 के "द शूटर" समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के संदर्भ में श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष द्वारा ली गई बैठक का कार्यवृत।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची : संलग्नक 'क'
बैठक की तिथि : 06.08.2018

आयोग ने उपरोक्त शीर्षक से प्रकाशित समाचार का स्वतः संज्ञान लेते हुए दिनांक 06.08.2018 को 13:00 बजे जिला कलेक्टर, सरगुजा के साथ बैठक की। आयोग ने इस बात को अत्यंत गंभीरता से लिया कि एक पण्डो परिवार, जो छत्तीसगढ़ राज्य में अधिसूचित विशेष रूप से कमजोर जनजाति का है, को घर न होने के कारण स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए शौचालय में निवास करना पड़ रहा है। बैठक में आयोग ने जिला कलेक्टर, सरगुजा से इस विषय पर विस्तृत जानकारी चाही।

जिला कलेक्टर, सरगुजा ने आयोग को अवगत कराया कि जिले के लखनपुर विकास खण्ड के ग्राम मांजा के अंतर्गत राजाकटेल पारा में पण्डो परिवार श्री चमरू पिता सुधू पण्डो निवासरत है जिसके दो पुत्र श्री धर्मजीत तथा श्री रामजीत हैं। रामजीत अविवाहित है जो अपने माता–पिता के साथ रहता है। दूसरा पुत्र धर्मजीत विवाहित है जिसकी तीन पुत्रियां एवं एक पुत्र है जो अपने परिवार सहित पिता के ही बनाए मकान में एक तरफ निवास करता है। उसी मकान के दूसरे हिस्से में उसके माता–पिता तथा छोटा भाई निवास करता है। धर्मजीत के पिता श्री चमरू द्वारा एक नये मिट्टी के कच्चे मकान का निर्माण, पुराने मकान से सटे भाग पर किया गया। उक्त नये मकान में रहने को लेकर पिता एवं पुत्र के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ जिससे क्रुद्ध होकर धर्मजीत द्वारा पुराने मकान से अपना कुछ घरेलू सामान निकालकर शौचालय में रख दिया गया। जिला कलेक्टर ने बताया कि धर्मजीत को समझाने के बावजूद वह अपने पिता के पुराने मकान तथा चाचा द्वारा दिए मकान में रहने को तैयार नहीं हुआ तथा कहा कि वह पुराने पैतृक मकान की मरम्मत करवा कर उसी मकान में रहेगा।

जिला कलेक्टर ने आयोग को यह भी बताया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत लखनपुर, सरपंच ग्राम पंचायत मांजा और राजस्व निरीक्षक, लखनपुर द्वारा समझाईश देकर ग्राम पंचायत में स्थित अतिरिक्त शासकीय कक्ष में, जहां पेयजल एवं शौचालय की उत्तम व्यवस्था है, धर्मजीत एवं उसके परिवार को रुकवाया गया जहां रहने के लिए वे लोग सहमत हुए। मकान मरम्मत हेतु ग्राम पंचायत मांजा द्वारा रुपये 10,000/– (दस हजार मात्र)

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Government of India
New Delhi

का चेक प्रदाय किया गया था जिसका क्रमांक 612519 दिनांक 13.06.2018 है तथा कुछ राशन की व्यवस्था भी कराई गई है।

आयोग ने यह जानना चाहा कि धर्मजीत के पण्डो जनजाति का होने के कारण, जो राज्य की विशेष रूप से कमजोर जनजाति है, को क्या स्वतः ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्राप्त करने की पात्रता नहीं बनती है और उन्हें अब तक आवास क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया है? इस पर जिला कलेक्टर ने आयोग को अवगत कराया कि कई वर्ष पूर्व धर्मजीत के पिता श्री चमरू को इंदिरा आवास योजना का लाभ मिल चुका है अतः उनके पुत्र धर्मजीत की पात्रता नहीं बनती है। श्री धर्मजीत का नाम एस.ई.सी.सी. वर्ष 2011 सर्वे में नहीं है। इस पर आयोग ने मत व्यक्त किया कि वयस्क होकर विवाहित एवं बाल–बच्चेदार हो जाने के कारण उनके परिवार को पृथक इकाई माना जाना चाहिए था। जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ देने हेतु एस.ई.सी.सी. वर्ष 2011 सर्वे में नाम होना आवश्यक है और संभवतः उस समय धर्मजीत का परिवार नहीं रहा होगा। आयोग ने जिला कलेक्टर से इस संबंध में स्पष्ट तथा तथ्यात्मक रिपोर्ट देने को कहा। जिला कलेक्टर ने कहा कि वे आज ही इस बारे में आयोग को जानकारी देंगी।

बैठक के बाद जिला कलेक्टर ने दिनांक 06.08.2018 को ही शाम को फैक्स द्वारा आयोग को एक अन्य रिपोर्ट भेजी जिसमें लिखित में अवगत कराया गया है कि श्री चमरू आत्मज श्री सुधू पण्डो तथा श्री धर्मजीत आत्मज श्री चमरू ग्राम मांजा, विकास खण्ड लखनपुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ का नाम एस.ई.सी.सी. वर्ष 2011 की सर्वे सूची में सरल क्रमांक 0059 तथा 0060 पर अंकित है। उक्त दोनों हितग्राहियों को पूर्व में इंदिरा आवास योजना के तहत् आवास स्वीकृत किया गया है, जिसकी जानकारी से दिनांक 02.10.2016 को आयोजित ग्राम सभा में अवगत कराया गया। जिला कलेक्टर ने आयोग को यह भी जानकारी दी कि उपरोक्त प्रकरण का परीक्षण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत लखनपुर जिला सरगुजा द्वारा किया जाकर प्रतिवेदन किया गया है कि इंदिरा आवास योजनान्तर्गत स्वीकृत आवास का निर्माण किया जा चुका है। योजनान्तर्गत पूर्व से लाभान्वित होने के कारण श्री चमरू आत्मज श्री सुधू एवं श्री धर्मजीत आत्मज श्री चमरू को प्रधानमंत्री आवास येाजना का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

आयोग ने पाया कि बैठक में जिला कलेक्टर द्वारा दी गई जानकारी एवं आयोग को भेजी गई रिपोर्ट दिनांक 06.08.2018 में एकरूपता नहीं है। बैठक में जानकारी दी गई कि धर्मजीत के पिता श्री चमरू को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित किया गया है और दिनांक 06.08.2018 की रिपोर्ट में बताया गया है कि श्री चमरू एवं उनके पुत्र श्री धर्मजीत दोनों को इंदिरा आवास योजनान्तर्गत आवास स्वीकृत किया गया है जिसका निर्माण किया जा चुका है। बैठक में बताया गया था श्री धर्मजीत का नाम एस.ई.सी.सी. वर्ष 2011 सर्वे में नहीं है और उनके पिता श्री चमरू का नाम इस सूची में है। दिनांक 06.08.2018 की रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों के नाम उपरोक्त सूची में सरल क्रमांक 0059 एवं

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

0060 पर अंकित हैं। आयोग ने महसूस किया कि प्रशासन द्वारा मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया है और विरोधाभासी जानकारी आयोग को दी गई है। यदि श्री धर्मजीत को इंदिरा आवास स्वीकृत किया गया है और उसका निर्माण पूर्ण किया गया है तो उन्हें एवं उनके परिवार को रहने के लिए घर क्यों नहीं है? क्या कारण है कि स्थानीय प्रशासन ने उन्हें अस्थायी रूप से पंचायत में रहने के लिए अतिरिक्त शासकीय कमरा दिया है। रुपये 10,000/– की जो आर्थिक सहायता दी गई है वह किस मकान की मरम्मत के लिए है, यह भी स्पष्ट नहीं है। यदि इंदिरा आवास योजना की स्वीकृति की जानकारी दिनांक 02.10. 2016 की ग्राम सभा में दी गई और उसके बाद आवास निर्माण भी किया जा चुका है तो इतनी जल्दी वह आवास निवास करने लायक क्यों नहीं रहा और निर्माण की गुणवत्ता कैसी थी। आयोग को लगता है कि मामले में लीपा–पोती की जा रही है और उसे सही जानकारी नहीं दी जा रही है।

उपरोक्त स्थिति में आयोग निम्नलिखित अनुशंसा करता है:–

1. जिला कलेक्टर, सरगुजा यह सुनिश्चित करें कि श्री धर्मजीत आत्मज चमरू को इंदिरा आवास योजना का लाभ देते हुए गुणवत्तापूर्ण आवास निर्माण पूर्ण किया गया है और वह आवास निवास करने के लायक है। वे यह भी देखें कि धर्मजीत के परिवार का कोई भी सदस्य शौचालय में निवास नहीं कर रहा है और न ही उनका कोई सामान भी शौचालय में रखा गया है। शौचालय का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जाए जिसके लिए उसे निर्मित किया गया है। श्री धर्मजीत को दी गई आर्थिक सहायता का प्रयोग आवास की मरम्मत आदि में ही किया जाए। आयोग को दोनों रिपोर्टों में अलग–अलग जानकारी देने का कारण भी स्पष्ट किया जाए।
2. श्री धर्मजीत के पिता श्री चमरू को स्वीकृत इंदिरा आवास का गुणवत्तापूर्ण निर्माण भी हुआ है तथा वे उसमें निवास कर रहे हैं, यह सुनिश्चित किया जाए।
3. कलेक्टर द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजाति मानते हुए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन की सुविधा मिल रही है।
4. श्री धर्मजीत आत्मज श्री चमरू के पढ़ने योग्य बच्चों की शिक्षा का समुचित प्रबंध किया जाए।

जिला कलेक्टर, सरगुजा द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए आयोग को 15 दिनों के भीतर शपथ पत्र पर विस्तृत एवं वास्तविक जानकारी भेजी जाए।

Nand Kumar Sai 14.8.18
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

संलग्नक 'क'

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

File No. 33/Press Clipping/15/2018/RU-III

''शौचालय बना पण्डो परिवार का सहारा, पेड़ के नीचे कटती है रात'' शीर्षक से दिनांक 18.07.2018 के ''द शूटर'' समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के संदर्भ में श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष द्वारा ली गई बैठक का कार्यवृत।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. श्री नन्द कुमार साय, अध्यक्ष
2. सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष
3. श्री एच.के. डामोर, सदस्य
4. श्री एम.सी. ईवनाते, सदस्या,
5. श्री राघव चंद्रा, सचिव
6. श्री शिशिर कुमार रथ, संयुक्त सचिव
7. श्री पी.टी. जेम्स कुट्टी, उप सचिव
8. श्री आर.के. दुबे, सहायक निदेशक
9. श्री डी.सी. कटोच, परामर्शक

जिला कलेक्टर, सरगुजा छत्तीसगढ़ शासन

श्रीमती किरन कौशल, कलेक्टर, सरगुजा,